कार्यालय जिलाधिकारी बांदा

(खनन अनुभाग)

निविदा आमत्रंण हेतु निविदा प्रपत्र/सूचना

पत्रांक : 1663 /खनिज–30, बाँदा दिनांक : 06 जुलाई 2012

उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली–1963 के नियम–23 के उपनियम (1) के अधीन शक्ति प्रयोग कर राज्य सरकार ने प्रदेश में उपखनिजो के रिक्त समस्त क्षेत्रो को नियमावली–1963 के अध्याय–चार के प्राविधानो के अन्तर्गत, निविदा प्रणाली के द्वारा ई–टेण्डरिंग के माध्यम से भविष्य में व्यवस्थित किये जाने हेतु शासनादेश संख्या 1277/86–2012–278/2011, दिनांक 31 मई 2012 के द्वारा सामान्य घोषणा की है, अस्तु अब रिक्त क्षेत्रो का व्यवस्थापन अध्याय–दो एवं अध्याय–छः के माध्यम से अनुमन्य नही है।

2. अतएव जनपद बांदा में उपलब्ध निम्न रिक्त खनिज क्षेत्रों को खनन पटटे् पर व्यवस्थित किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तो के अधीन अर्ह व्यक्तियो से ई–टेण्डरिंग के माध्यम से निविदायें आमंत्रित की जाती हैः–

क्र0 सं0	तहसील का नाम	खनन क्षेत्र का नाम/ग्राम/नदी का नाम	खण्ड संख्या	गाटा संख्या	क्षेत्रफल एकड़ में	खनिज का नाम	आरक्षित मूल्य	अभियुक्ति
1	2	3		4	5	10	11	12
1.	बाँदा	सादीमदनपुर /यमुना नदी	1	50 का भाग, 51 से 60,61 का भाग, 62,63,64 का भाग, 68 का भाग	178.34	बालू	53,50,200.00	विगत तीन वर्ष में प्राप्त आय की औसत के आधार पर प्रति एकड़ आरक्षित मूल्य का निर्धारण किया गया है।
2.	बाँदा	सबादाखादर/ यमुना नदी	2	1 से 5 का भाग,13 से 14 का भाग 15, 16 से 18 का भाग ,30,31,39 का भाग, 41 से 45, 47, 59, 66 से 69, 78,79, 86, 100, 111,118,119,134,138, 143,152, 153 का भाग,167, 168, 525/175, 175	212.78	बालू	63,60,000.00	
3.	बबेरू	मर्काखादर/ यमुना नदी	3	44 से 50, 51, 52, 54, 55,56 का भाग, 57 का भाग, 58, 59, 60 का भाग, 61 का भाग, 62 का भाग, 63 से 67, 68 का भाग, 69, 70 का भाग, 71, 72 का भाग, 73 का भाग, 74 का भाग, 72 से 94 का भाग, 95 से 97, 928, 932, 1126 का भाग, 1129 का भाग, 1035 से 1039, 1173,1174	256.00	बालू	76,80,000.00	

4.	बबेरू	दादोखादर/ यमुना नदी	4	39 से 42 तक	175.00	बालू	52,50,000.00	
5.	बबेरू	राघौपुर/ यमुना नदी	5	1 से 4, 6 से 26, 27 व 28 का भाग	86.00	बालू	25,80,000.00	
6	बांदा	डिघवट/ केन नदी	6	2,3,10,11,111,113,177, 183,184, 197, 199,205,247,250,254, 255, 294, 297,301,306,307, 329,330,332,333,339	62.00	बालू	18,60,000.00	
7	बांदा	पैलानी/ केन नदी	7	21 का भाग, 33, 47 से 59, 21/21, 47/9	85.00	बालू	25,50,000.00	
8	बांदा	सिंघनकलां/ केन नदी	8	99 से 103, 104 का भाग, 152	100.00	बालू	30,00,000.00	
9	बांदा	खपटिहा कलां/ केन नदी	9	7,8,61 से 67, 69 से 85, 87 , 100, 356	318.00	बालू	95,40,000.00	
10	बांदा	गंच्छा / केन नदी	10	19 से 71	30.00	बालू	9,00,000.00	
11	नरैनी	निहालपुर(स्योढ़ा) / केन नदी	11	458 से 462, 472, 13/1 से 13/5 तक	140.00	बालू	42,00,000.00	
12	नरैनी	बड़सढ़ा मानपुर/ केन नदी	12	3/1/1	107.22	बालू	32,16,600.00	
13	नरैनी	बिलहरका/ केन नदी	13	5 व 9	129.45	बालू	38,83,500.00	
14	अतर्रा	तेरा/ (बागे नदी)	14	1749, 1766, 2420, 2421	29.90	बालू	8,97,000.00	
15	अतर्रा	महुटा/ बागे नदी	15	2577,2599,2660,2676,876, 886,1481, 1482, 1505, 2047, 2247, 2521, 2046, 2270,2045 ,2520, 2541	96.52	बालू	28,95,600.00	
16	अतर्रा	बदौसा/ बागे नदी	16	6497, 6478,6472, 6473, 6481, 6448,6262,6261, 6600 से 6602, 6597, 6596, 6300,	100.00	बालू	30,00,000.00	
17	अतर्रा	दुबरिया/ बागे नदी	17	819, 1485, 1557	58.00	बालू	17,40,000.00	
18	अतर्रा	भुसासी/ बागे नदी	18	8330, 8431/1, 8515	32.00	बालू	9,60,000.00	
19	अतर्रा	पौहार/ बागे नदी	19	987,1037,1039,1045, 1046, 1047, 1143, 1176, 2545	28.88	बालू	8,66,400.00	
20	बबेरू	कुल्लू खेड़ा/ बागे नदी	20	8266, 8117, 8125, 8064, 8050, 5536, 8126, 8116	28.14	बालू	8,44,200.00	
21	बबेरू	लोहरा/ बागे नदी	21	4468 से 4473, 4181 से 4185, 4340 से 4343, 4388, 4453	51.71	बालू	15,51,300.00	

3. **पटट्े का अवधिः–** उत्तर प्रदेश उप खनिज परिहार नियमावली 1963 के अध्याय 4 नियम 23 के अनुसार किसी भी क्षेत्र को एक बार में 05 वर्ष से अधिक के लिये निविदा द्वारा पटट्े पर नही दिया जायेगा। किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि एक बार में स्वस्थानें चटट्ान किस्म के खनिज निक्षेप के सम्बन्ध में अवधि 05 वर्ष और नदी तल खनिज निक्षेप के सम्बन्ध में 01 वर्ष होगी।

नियम एवं शर्ते :–

1. ई–निविदा http;//etender up.nic.in पोर्टल पर उपलब्ध प्रपत्र के सापेक्ष अपलोड करनी होगी।
2. निविदाकारो की निम्निलिखित अर्हताएं होगीः–

(1) भारत का नागरिक होना चाहिये।
(2) खनिज/खनन सम्बन्धी देय धनराशि बकाया नही होनी चाहिये।
(3) स्थायी रूप से निवास करने वाले स्थान के जिलाधिकारी के द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र उपलब्ध होना चाहिये।
(4) यदि क्षेत्र का न्यूनतम आरक्षित मूल्य रू0 दो लाख अथवा उससे अधिक है, उस स्थिति में निम्नलिखित राजकीय अधिकारियों से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) संलग्न करना होगा।

1. आयकर विभाग का प्राधिकृत अधिकारी।
2. व्यापारकर विभाग का प्राधिकृत अधिकारी।
3. स्थायी रूप से निवासित जिले के जिला मजिस्ट्रेट।
4. स्थायी रूप से निवासित जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक।

4. काई भी निविदा आरक्षित मूल्य से कम होने की दशा में विचारर्णीय नहीं होगी।
5. प्राप्त निविदाओं के खोले जाने के उपरान्त सर्वोच्च एवं सन्तोषजनक अर्ह व्यक्ति की निविदा अनन्तिम रूप से स्वीकार किये जाने पर विचार किया जायेगा। जिलाधिकारी द्वारा निविदा अनन्तिम रूप से स्वीकार कर लिये जाने के उपरान्त निर्णय की सूचना सम्बन्धित निविदाकार को दी जायेगी। जिलाधिकारी द्वारा सूचना देने के तत्काल एक वर्ष के लिये दी गयी बोली की धनराशि का 25 प्रतिशत पट्टा विलेख के निष्पादन के लिये प्रतिभूति के लिये और पटटे निबन्धनों और शर्तो के सम्यक अनुपानल के लिये और स्वामित्व की प्रथम किश्त के रूप में उपतनी ही धनराशि तुरन्त जमा करनी होगी।

   उपरोक्तानुसार धनराशि जमा करने पर निविदा अनन्तिम रूप से स्वीकार कर निविदाकार को संसूचित की जायेगी जिसमें यह शर्त उल्लिखित होगी कि ई–टेण्डरिंग की स्वीकृति के पश्चात पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के तहत जिसके पक्ष में निविदा की स्वीकृति हुई है उसे 06 माह के भीतर पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। यदि उक्त अवधि में ऐसा व्यक्ति स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त कर खनन पट्टा विलेख निष्पादित नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में निविदा स्वतः निरस्त समझी जायेगी और धरोहर धनराशि एवं प्रतिभूति के रूप में जमा धनराशि राज्य सरकार द्वारा ज़ब्त कर ली जायेगी और पुनः निविदा की कार्यवाही की जायेगी।
6. निविदा प्रस्तुत करने वाले वयक्ति को निम्नलिखित विवरण निविदा प्रपत्र–1 में उल्लिखित करने होगें :–

1. निविदाकार का नाम, पिता का नाम और स्थायी एवं अस्थायी पता।
2. उस क्षेत्र और खनिज का विवरण जिसके लिये निविदा प्रस्तुत की गयी हो।
3. जिलाधिकारी के पक्ष में धरोहर धनराशि (Earnest Money Deposit) के रूप में रू0 2000.00 का बैंक ड्राफ्ट। धरोहर धनराशि रू0 2000.00 प्रत्येक खनन क्षेत्र के लिये पृथक–पृथक होगी।
4. किसी सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया सम्पत्ति प्रमाण पत्र अथवा समाशोधन क्षमता प्रमाण पत्र (solvency certificate) अथवा बैंक गारण्टी एवं स्थायी पते का प्रमाण पत्र।
5. स्थायी रूप से निवासित जिले के जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र।
6. आरक्षित मूल्य रू0 दो लाख अथवा अधिक होने पर निम्नलिखित प्राधिकारियों द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) संलग्न करना होगा :–

1. आयकर विभाग का प्राधिकृत अधिकारी
2. व्यापार कर विभाग का प्राधिकृत अधिकारी
3. स्थायी रूप से निवासित जिले के जिला मजिस्ट्रेट
4. स्थायी रूप से निवासित जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक।

7. **विनिदा डालने के लिये निविदा आमंत्रण प्रपत्र में दिये गये निविदा प्रपत्र–I तथा वित्तीय निविदा प्रपत्र– II (Financial Proposal Submission Form-II), दोनो प्रपत्रों को पृथक–पृथक क्षेत्रावार भरना होगा।**
8. निविदा प्रपत्र– II (Financial Proposal Submission Form-II) में निविदा धनराशि अंकों में स्पष्ट रूप से भरनी होगी। ई–टेण्डर पोर्टल पर अंकित अंकों में भरी गयी धनराशि स्वतः शब्दो में परिवर्तित हो जायेगी।
9. निविदा आमंत्रण सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवसों के उपरान्त दिनांक 08-08-2012 से 18-8-2012 तक 07 कार्य दिवसों की अवधि के अन्दर ई–टेण्डर पोर्टल http://etender.up.nic.in पर निविदाकार के द्वारा अपनी निविदा अपलोड की जायेगी।

10. निविदाकार को ई–टेण्डरिंग प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही करनी होगी :–

(अ) निविदादाता द्वारा निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व उसे यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ से डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट पंजीयन कराना होगा।

(ब) निविदाकार के द्वारा एम0टी0एन0एल0 (एन) कोड सॉल्यूशन (जी0एन0एफ0सी0) टीसीएस, सेफ स्क्रिप्ट, आई0डी0आर0बी0टी0 एवं कस्टम एवं सेण्ट्रल एक्साइज इत्यादि सर्टिफाइंग एजेंसियों से क्लास–II डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करने होगें अथवा यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 से भी डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त किये जा सकते हैं।

11. निविदाकार द्वारा अपना रजिस्ट्रेशन ई–टेण्डर पोर्टल पर करा लेने तथा डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करने के उपरान्त अपनी निविदा ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करने हेतु निम्नांकित कार्यवाही की जानी होगी :–
    1. सर्वप्रथम निविदाकार द्वारा ई–टेण्डर पोर्टल पर लॉगिन आई0डी0 (Login ID) एवं पासवर्ड Password के द्वारा ई–टेण्डर पोर्टल में प्रवेश किया जाएगा।
    2. तत्पश्चात निविदाकार द्वारा अपने डिजिटल सिग्नेचर का सत्यापन verification ई–टेण्डर पोर्टल पर किया जाना होगा।
    3. निविदाकार द्वारा सर्च एक्टिव टेण्डर (Search Active Tender) पर क्लिक कर अपनी रूचि की निविदा का चयन कर उक्त निविदा पर प्रतिभाग (participate) करने हेतु क्लिक करना होगा।
    4. निविदाकार द्वारा चयनित निविदा की शर्ते प्रपत्र आदि देखने के लिये माई टण्डर (My Tender) पर क्लिक कर निविदा का विवरण/निविदा कार्य/निविदा प्रपत्र इत्यादि को देखा जा सकता है।
    5. निविदाकार द्वारा कम्प्यूटर स्क्रीन पर ही निविदा सम्बन्धित सभी जानकारी को सीधे देखा जा सकता है अथवा उक्त निविदा को डाउनलोड कर उसके प्रिन्ट आउट द्वारा विवरण को पढ़ा जा सकता है।
    6. निविदाकार द्वारा निविदा प्रपत्र के समुचित अध्ययन किये जाने के उपरान्त अपनी निविदा का ई–टेण्डर पर अपलोड करने के पूर्व प्रस्तर 12 में दिये गये विवरण के अनुसार विभिन्न अभिलेखों, दस्तावेजों की स्कैंण्ड कापी कर पी0डी0एफ0 फाईल बनायी जानी होगी।
    7. ई–टेण्डर डाकूमेन्टस की आवश्यकताओं के अनुरूप सभी वांछित दस्तावेजों की पी0डी0एफ0 फाईल तैयार हो जाने के पश्चात निविदाकार द्वारा ''पे ऑफ लाइन'' (pay offline) विकल्प पर क्लिक करनेपर एग्रीमेट (Agreement) आईकॉन के कम्प्यूटर स्क्रीनपर प्रदर्शित होने पर निविदाकार द्वारा आई एग्री–सबमिट (I agree–submit) पर क्लिक करना होगा।
    8. तत्पश्चात निविदाकार द्वारा धरोहर धनराशि से संबंधित कॉलम में रू0 2000.00 की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट का नम्बर, बैंक का नाम इत्यादि विवरण भरना होगा। भुगतान के विवरण की प्रविष्टियॉ भरने के बाद उसको save कर लिया जाएगा।
    9. निविदाकार द्वारा अपनी निविदा को अपलोड करने हेतु कम्प्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित इनक्रिप्ट एण्ड अपलोड (Encrypt and Upload) पर क्लिक करना होगा जिससे कि धरोहर धनराशि को टेण्डर के साथ जमा किये जाने से सम्बन्धित कार्य पूर्ण माने जायेंगे।
    10. निविदाकार द्वारा तकनीकी निविदा (Technical Bid) के आईकॉन पर क्लिक करने के उपरान्त निविदा प्रपत्र–1 से सम्बन्धित पी0डी0एफ0 फाईल (scanned copy) को अपलोड करना होगा।
    11. निविदाकार द्वारा समस्त तकनीकी अभिलेखों की पी0डी0एफ0 फाईल (scanned copied) के अपलोड हो जाने के बाद सबमिट (submit) आईकॉन पर क्लिक कर तकनीकी प्रपत्र (technical bid submission) की कार्यवाही पूर्ण हो जाएगी।
    12. तत्पश्चात वित्तीय निविदा प्रपत्र–II (Financial bid Submission Form-II) जो विनिदाकार द्वारा अपने कम्प्यूटर पर ई–टेण्डर डाउनलोड करते समय सेव (save) किया गया था, में अपनी वित्तीय निविदा धनराशि अंको में अंकित कर सेव (save) कर लें। इसकी (Financial bid Submission

Form-II) की एक्सेल (Excel) फाईल ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड कर वित्तीय निविदा प्रस्तुत की जानी होगी।

13. समस्त अभिलेख तकनीकी (निविदा प्रपत्र–1) एवं वित्तीय निविदा (Financial bid Submission Form-II) प्रपत्रों को ई–टेण्डर पोर्टल पर जमा किये जाने के उपरान्त आईकॉन पर क्लिक कर निविदाकार ई–टेण्डर सॉफ्टवेयर द्वारा जनरेटेड बिड आई0डी0 प्राप्त कर लें।
14. यदि निविदाकार को ऐसा प्रतीत होता है कि उनके द्वारा सबमिट की गयी तकनीकी एवं वित्तीय बिड में कोई त्रुटि है अथवा उनके द्वारा पूर्व में जमा की गयी निविदा/बिड्स में संशोधन करना वांछनीय है, तो माई बिड्स (My Bids) आईकॉन में क्लिक कर पुनः तकनीकी अथवा वित्तीय निविदा पूर्व प्रक्रिया को अपनाते हुये रि–बिड सबमिशन (Rebid submission) पर क्लिक कर पुनः सबमिट (submit) कर सकते है। निविदाकार द्वारा यह कार्य टेण्डर जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि और समय से पूर्व किया जा सकता है। अन्तिम बार प्रस्तुत की गयी निविदा (last submitted bid) ही ई–टेण्डर पोर्टल पर अनुमन्य होगी। पूर्व में प्रस्तुत की गयी बिड्स अनुमन्य नहीं होगी।

12. ई–टेण्डर पोर्टल पर अपनी निविदा अपलोड करते समय निविदाकार को निम्नांकित बिन्दुओं पर ध्यान देना होगा :–

1. **संलग्न निविदा प्रारूप के संलग्नक निविदा प्रपत्र–1 के कालम संख्या–1 से 11 में सूचनाएं** अंकित करनी होगी तथा सूचना प्रपत्र–II (Financial Bid Submission Form-II) के सफेद भाग में निविदा धनराशि अंको में अंकित करनी होगी।
2. **जिलाधिकारी के पक्ष में निर्गत बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति** जिलाधिकारी कार्यालय में टेण्डर जमा करने की तिथि समाप्त होने से पूर्व जमा करनी होगी तथा उस बैंक ड्राफ्ट की स्कैंड (scanned) कापी ई–टेण्डर पोर्टल पर भी अपलोड (upload) करनी होगी।
3. बैंक गारण्टी या सम्पत्ति प्रमाण पत्र अथवा समाशोधन क्षमता प्रमाण पत्र (Solvency Certificate) मूल रूप में जिलाधिकारी कार्यालय में टेण्डर जमा करने की तिथि समाप्त होने से पूर्व जमा करना होगा तथा उसकी स्कैंड कापी भी ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।
4. खनन सम्बन्धी कोई बकाया न होने का घोषणा पत्र, के आशय का शपथ पत्र की स्कैंड कापी (scanned) ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।

अथवा

खनन सम्बनी कोई बकाया न होने का जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र की स्कैंड कापी (scanned) ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।

5. सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी पते के प्रमाण पत्र की स्कैंड कापी (scanned) ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।
6. स्थायी रूप से निवासित जिले के जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र की स्कैंड कापी (scanned) ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।
7. आरक्षित मूल्य रू0 दो लाख अथवा अधिक होने पर निम्नलिखित प्राधिकारी के द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की स्कैंड (scanned) कापी ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी हागी।

   1. आयकर विभाग के प्राधिकृत अधिकारी
   2. व्यापार कर विभाग के प्राधिकृत अधिकारी
   3. स्थायी रूप से निवासित जिले के जिलाधिकारी
   4. स्थायी रूप से निवासित जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक।

13. प्रकृति के उत्पादों की बिक्री पर एकाधिकार को समाप्त करने तथा खनिजों के विक्रय में प्रतिस्पर्धी दरों को प्राप्त करने के उद्देश्य से निविदाकारों को निम्नानुसार निविदा डालनी होगी :–

क्र0सं0	खनिज का नाम	पट्टों की संख्या
1	बालू, मोरम, बजरी, बोल्डर इत्यादि।	5 (जिनका क्षेत्रफल 400 हेक्टेयर से अधिक न हो)
2	इमारती पत्थर	3 जिनका क्षेत्रफल 25 हेक्टेयर से अधिक न हो)

14. निविदा की अंतिम तिथि 18/08/2012 समय 05 सायं के बीत जाने के उपरान्त सर्वप्रथम निविदा प्रपत्र–1 ई–पोर्टल पर टेण्डर समिति के अधिकारियों की उपस्थिति में (उनकी डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग कर) खोला जायेगा। इसके खोलने की तिथि, समय एवं स्थान के विषय में समस्त निविदाकारों को समाचार पत्रों अथवा अन्य माध्यमों द्वारा सूचित किया जायेगा जिससे कि इच्छुक निविदाकार उक्त तिथि एवं समय पर उपस्थित हो सके।

15. प्रस्तर–6 में उल्लिखित अभिलेख एवं आर्हर्ताओं से सम्बन्धित अभिलेख निविदाकार द्वारा प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में निविदा अपूर्ण समझी जायेगी और सक्षम अधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दी जायेगी। जिन निविदाकारों की निविदा अस्वीकार की जायेगी, उनकी सूची कारण सहित ई–टेण्डर पोर्टल पर प्राप्त प्रपत्र–II में वित्तीय निविदा के खोले जाने से पूर्व प्रकाशित की जायेगी। तदोपरान्त आर्ह निविदाकारों की वित्तीय निविदाएं टैण्डर समिति के समक्ष खोली जायेंगी। वित्तीय निविदायें खोले जाने के समय इच्छुक आर्ह निविदाकार उपस्थित हो सके। इस निमित्त इच्छुक निविदाकारों को ससमय समाचार पत्रों अथवा अन्य माध्यमों द्वारा सूचित कर दिया जायेगा। जो निविदादाता सर्वोच्च निविदा देगा तथा समस्त शर्तो का पालन करेगा, उसी को निविदा की स्वीकृति पर विचार किया जायेगा। वित्तीय निविदाओं को खोले जाने के उपरान्त उनका तुलनात्मक विवरण भी ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा तथा निविदा के सम्बन्ध में निर्णय के उपरान्त जिस निविदाकार के पक्ष में निविदा स्वीकृत हुई है, का विवरण भी ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।

16. धरोहर धनराशि के रूप में जमा किये गये बैंक ड्राफ्टों को निविदाकारों को वापस कर दिया जायेगा सिवाय उस बैंक ड्राफ्ट के जो उस निविदाकार द्वारा जमा किया गया है जिसका प्रस्ताव अधिकतम पाया जाये जिसके सम्बन्ध में उसे प्रतिभूति में समायोजित कर दिया जायेगा।

17. जिलाधिकारी कोई कारण बताए बिना समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार आरक्षित रखेगें।

18. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अधीन, पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र सम्बन्धित निविदाकार द्वारा अनुमन्य अवधि के अधीन प्रस्तुत करने के उपरान्त ही नियमानुसार खनन पट्टा विलेख का निष्पादन किया जायेगा एवं उसी दशा में ही निविदाकार को खनन कार्य करने का अधिकार प्राप्त होगा।

19. निविदाकार को खनन पट्टा की अवधि में दी गयी वित्तीय निविदा प्रपत्र–II के अनुसार स्वीकृत निविदा धनराशि को पूर्व निर्धारित किश्तों के अनुसार पट्टा विलेख में किश्तों में नियत समय में जमा करनी होगी।

20. ई–टेण्डर साइट का उपयोग करने के लिये Pentium-iv अथवा उच्च विशिष्टियों युक्त कम्प्यूटर तथा ब्रॉड बैंण्ड इण्टरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होगी। कम्प्यूटर लाइनेक्स, विण्डोज एक्सपी सर्विस पैक–3 या उच्च आपेरेटिंग सिस्टम, एण्टीवायरस तथा इण्टरनेट एक्सप्लोरर वर्जन 7.0 या अधिक के साथ होना चाहिये। इसके लिये इण्टरनेट केन्द्र की सेवाये ली जा सकती है।

21. जिला स्तर पर ई–टेण्डरिंग से सम्बन्धित टेण्डर्स अपलोड किये जाने, टेण्डर्स खोले जाने इत्यादि कार्यो हेतु जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (DIO-NIC) से सहायता ली जा सकती है तथा अन्य किसी जानकारी/स्पष्टीकरण/प्रशिक्षण हेतु यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, 10, अशोक मार्ग, लखनऊ से भी सम्पर्क किया जा सकता है।

22. खनन क्षेत्र अथवा अन्य किसी जानकारी के लिये सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय के खनन अनुभाग से सम्पर्क किया जा सकता है।

23. सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थान/प्रतिष्ठान जैसे मंदिर, मस्जिद, मकबरा तथा पुरातत्व महत्व की इमारतो को कोई क्षति नहीं पहुँचाऐगा तथा ऐसे स्थानो (सड़क, पुल, रेल्वे लाइन, बिजली के खम्भे इत्यादि) से 50 मी0 दूर खनन कार्य किया जायेगा।

24. निविदाधारक समय समय पर पारित मा0 सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय व अन्य सक्षम न्यायालय के अतिरिक्त शासन के आदेशों का पालन करेगा।

25. निविदाधारक खनन क्षेत्र में पहुँचमार्ग की व्यवस्था स्वयं करेगा तथा इस सम्बन्ध में उत्पन्न विवादो का निराकरण भी स्वयं करेगा।

26. निविदााधारक खनन क्षेत्रो में खनन कार्यो हेतु भारी मशीनों का प्रयोग सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही कर सकेगा।

जिलाधिकारी
बाँदा।

पत्रांक :   /खनिज–30, बांदा तद्दिनांक

प्रतिलिपि :   **निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

1. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. आयुक्त चित्रकूट धाम मण्डल बांदा।
3. निदेशक सूचना उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इसका प्रकाशन कम से कम दो प्रदेश स्तरीय समाचार पत्रो में कराने का कष्ट करें।
4. एम0डी0 यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया निविदा प्रपत्र (संशोधित) का प्रारूप निर्धारित पोर्टल पर अपलोड करने का कष्ट करें।
5. निदेशक भूतत्व एवं खनिजकर्म निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।

जिलाधिकारी
बाँदा।